पावर एक्सचेंज के माध्यम से विद्युत की खरीद के लिए ऋण सुविधा

पावर एक्सचेंज के साथ सदस्य के रूप में पंजीकृत कंपनियों/यूटीलिटियों को पावर एक्सचेंज/ के बकाए के मार्जिन/निपटान के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कंपनियों/यूटीलिटियों को विद्युत की खरीद के लिए मार्जिन/फंडिंग की सुविधा पावर एक्सचेंज के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी एवं पीएफ़सी के साथ ऋण करार के अधीन कंपनियों/यूटीलिटियों को पीएफ़सी द्वारा प्रदत्त राशि को ऋण के रूप में माना जाएगा।

राज्य या केंद्रीय क्षेत्र की यूटिलिटी/ कंपनी इस सुविधा के लिए पात्र है बशर्ते वह पीएफ़सी की नीति के अनुसार चूककर्ता न हो एवं वैध ग्रेडिंग रखती हो। यदि राज्य क्षेत्र का ऋणकर्ता प्रतिभूति के रूप में बैंक गारंटी देता है, तो ग्रेडिंग/ वर्गीकरण की आवश्यकता लागू नहीं होगी।

किसी भी निजी क्षेत्र की यूटिलिटी/कंपनी को पात्र माना जाएगा बशर्ते वह अन्य बैंकों/एफ़आई या पीएफ़सी की भी योजना के अंतर्गत या चूककर्ता न हो।

इस योजना वित्तीय सहायता हेतु ऊर्जा की बोली मार्जिन/फंड की आवश्यकता का 100 % रहेगी अर्थात ऊर्जा तथा संबंधित प्रभार एवं कर प्रति ऋणकर्ता 100 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा की शर्त के अध्यधीन रहेगी अर्थात किसी भी समय प्रति ऋणकर्ता देय ऋण राशि 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

ऋणकर्ता को प्रत्येक ट्रांच/ संवितरण के बाद संवितरण की तारीख से अधिकतम 90 दिनों की अवधि के भीतर ब्याज सहित ऋण राशि का पुनर्भुगतान करना होगा।

समय-समय पर यथा अधिसूचित ब्याज दर एवं वित्तीय प्रभार लागू होंगे।

पीएफ़सी द्वारा समर्थित लेन-देनों के लिए फंड को बिडिंग के दिन मार्जिन धन (सदस्य द्वारा देय राशि के बराबर) समझा जाएगा एवं वास्तविक फंड, देय राशि की तारीख को एक्सचेंज/ ऋणकर्ता के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।

इस नीति के अंतर्गत ऋणकर्ताओं की एक्सपोजर पीएफ़सी द्वारा अपने प्रूडेंशियल मानदंडो के अंतर्गत तय की गई सीमा के भीतर होगा।

क्षेत्र	प्रतिभूति का प्रकार
राज्य क्षेत्र के ऋण कर्ता (श्रेणी'बी' एवं उससे ऊपर)	एक्सक्रो कवर
राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ता (श्रेणी'सी')	एक्सक्रो कवर के अतिरिक्त एक्सक्रो राजस्व पर प्रभार
या	
राज्य/ केंद्र क्षेत्र के कार्यकर्ता	बैंक गारंटी
निजी क्षेत्र की कंपनियां/विद्युत संस्थाएं	कम से कम तीन महीनों के लिए वैध अनूसूचित वाणिज्यिक बैंक की गारंटी जिसको प्रत्येक संवितरण के लिए अलग से उपलब्ध करवाया जा सके।